[2021] 1 उम. नि. प. 167

मैसर्स एक्सेल कैरियर्स और एक अन्य

बनाम

फ्रैंकफिन एविएशन सर्विसेज प्रा. लि.

[2020 की सिविल अपील सं. 2904]

5 अगस्त, 2020

न्यायमूर्ति रोहिंग्टन फली नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदिरा बनर्जी

संविधान, 1950 - अनुच्छेद 133 - [सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII का नियम 10, 10क, आदेश IV का नियम 1, आदेश V का नियम 1 और आदेश XVIII का नियम 15] - अपील - कोई वाद ऐसे न्यायालय में फाइल किया जाना जिसके पास उसे ग्रहण करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता का अभाव था - उस न्यायालय द्वारा उक्त वाद को क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय में अंतरित करना - सक्षम न्यायालय द्वारा उस वाद में कार्यवाही उस प्रक्रम से आरंभ करना जिस प्रक्रम पर वह वाद पूर्ववर्ती न्यायालय से अंतरित हुआ था - आक्षेप - यदि कोई वाद, ऐसे न्यायालय में फाइल किया जाता है जिसे ग्रहण करने की क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं होती है तो उस न्यायालय द्वारा उस वाद को ऐसे न्यायालय में अंतरित कर दिया जाता है जो उसे ग्रहण करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता रखता है और उस सक्षम न्यायालय के पास यह विवेकाधिकार होता है कि वह उस अंतरित वाद में कार्यवाही उस प्रक्रम से आरंभ कर सकता है जिस प्रक्रम पर वह वाद पूर्ववर्ती न्यायालय में था अथवा उस वाद में नए सिरे से कार्यवाही आरंभ कर सकता है ।

वर्तमान मामले में, हमसे इस विधि के प्रश्न का उत्तर देने की अपेक्षा की गई है कि यदि कोई वादपत्र, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII के नियम 10 और नियम 10क के अधीन उस न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस किया जाता है जिसमें इसे संस्थित किया

जाना चाहिए तो क्या इसमें नए सिरे से कार्यवाही की जाएगी या यह उस प्रक्रम से चालू होगा जहां से यह वादपत्र वापस करने के समय पर न्यायालय के समक्ष लंबित था । निर्देश आदेश में इस बात पर भी विचार करने के लिए खुला है कि यदि अपीलार्थी का आचरण ऐसा है जिससे वह कोई अनुतोष पाने का हकदार नहीं बनता है, इस बात के होते हुए कि विधि के विवाद्यक पर विनिश्चय हुआ है । प्रत्यर्थी ने सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ खंड), गुड़गांव के समक्ष तारीख 24 मार्च, 2004 के विशेषाधिकार करार से उद्भूत अपीलार्थी के विरुद्ध वसूली के लिए एक वाद फाइल किया । करार में अपवर्जित खंड को ध्यान में रखते हुए, वादपत्र वापस कर दिया गया था, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि गुड़गांव के न्यायालय के पास क्षेत्रीय अधिकारिता का अभाव है और यह कि इस मामले में दिल्ली स्थित न्यायालय को ही एकमात्र अधिकारिता है । उच्च न्यायालय ने तारीख 13 मार्च, 2018 के आक्षेपित आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि दिल्ली में वाद में उस प्रक्रम से कार्यवाही की जाएगी जिस प्रक्रम पर यह वादपत्र वापस किए जाने के पूर्व गुड़गांव में लंबित था और न कि नए सिरे से कार्यवाही की जाएगी । इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने, पक्षकारों की ओर से दिए गए निवेदनों पर विचार किया और अभिलेख पर की सामग्रियों पर भी विचार किया । विशेषाधिकार करार, प्रत्यर्थी के वर्णनों और मानकों के अनुसरण में मेरठ में एविएशन, हास्पिटेलिटी एंड ट्रेवेल मैनेजमेंट में पाठ्यक्रम चलाने के लिए तारीख 24 मार्च, 2004 को नई दिल्ली में पक्षकारों के बीच निष्पादित हुआ था । प्रत्यर्थी ने रु. 23,11,190/- की वसूली के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध गुड़गांव में सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ खंड) के समक्ष तारीख 6 जनवरी, 2011 को एक वाद संस्थित किया । अपीलार्थी ने तारीख 26 अगस्त, 2011 को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश के VII के नियम 10 के अधीन एक आवेदन फाइल किया, यह दलील देते हुए कि गुड़गांव न्यायालय के पास क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है क्योंकि वह उसकी अधिकारिता के भीतर कोई कारबार नहीं करता है और न ही वह वहां निवास करता है, इसलिए, प्रत्यर्थी को वादपत्र वापस किया

जाना अपेक्षित है । सिविल न्यायाधीश, गुड़गांव में तारीख 12 मार्च, 2015 को आक्षेप नामंजूर करते हुए, यह राय व्यक्त की कि इसे सरसरी तौर पर विनिश्चित नहीं किया जा सकता है और इसे प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में विरचित किया जाना अपेक्षित है । उसके बाद, अपीलार्थी ने अपना लिखित कथन फाइल किया और प्रत्यर्थी ने इसका प्रत्युत्तर फाइल किया । वाद में, अधिकारिता के संबंध में तारीख 1 अक्तूबर, 2015 के प्रारंभिक विवाद्यक विरचित करने वाले पूर्ववर्ती आदेश की जानबूझकर अवहेलना करते हुए, विवाद्यक तारीख 1 दिसम्बर, 2015 को विरचित किए गए थे । अपीलार्थी ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि क्यों उसने करार के खंड 16ख के अधीन आक्षेप को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII के नियम 10 के अधीन तारीख 26 अगस्त, 2011 के अपने आवेदन में उद्भूत नहीं किया था । सिविल न्यायाधीश, गुड़गांव ने तारीख 6 सितम्बर, 2016 के अपने आदेश द्वारा करार के खंड 16ख के अधीन दिल्ली में अनन्य अधिकारिता के संबंध में तर्कों को नामंजूर कर दिया था । उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण में तारीख 5 सितम्बर, 2017 के अपने आदेश में, सिविल न्यायाधीश के तारीख 6 सितम्बर, 2016 के आदेश को अपास्त करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि विशेषाधिकार करार के खंड 16ख को ध्यान में रखते हुए, गुड़गांव न्यायालय के पास फाइल वापस करने के निर्देश देने की क्षेत्रीय अधिकारिता का अभाव था । गुड़गांव में वाद के अग्रिम प्रक्रम के संबंध में, प्रत्यर्थी के निवेदन को नामंजूर कर दिया गया था । इसके पूर्व, वाद में सारवान् कार्यवाहियां की गई थी क्योंकि इसी बीच में पक्षकारों के साथ बंद कर दिए गए थे और मामले में तारीख 1 जून, 2017 को अंतिम तर्क देने के लिए नियत कर दिया गया था । न्यायालय का यह सुविचारित राय है कि तारीख 5 सितम्बर, 2017 के आदेश में 'फाइल वापस करने' शब्दों का प्रयोग मात्र से ही इस अभिप्राय में आदेश VII के नियम 10 के अधीन अधिकारिता के क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है कि उच्च न्यायालय ने वाद निरंतर जारी रखने के आशय से ऐसा निर्देश दिया है । प्रथमतः, उस आक्षेप को अभिव्यक्त तौर पर नामंजूर कर दिया गया था । द्वितीयतः, आदेश में स्वयं यह अभिकथित है कि संहिता, 1908 के आदेश VII के नियम 10 और 10क के अधीन फाइल वापस की जाती है । यह स्पष्ट है कि उच्च

न्यायालय का आशय वादपत्र वापस करने का था । इसके पश्चात्, प्रत्यर्थी ने उस विशिष्ट मामले में सिविल न्यायाधीश गुड़गांव के समक्ष तारीख 11 अक्तूबर, 2017 को एक आवेदन फाइल किया, अग्रिम प्रक्रम पर जिस प्रक्रम पर गुड़गांव में कार्यवाहियां थी, इसलिए कि, यह न्याय के हित में होगा कि सम्पूर्ण न्यायिक फाइल को दिल्ली में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के पास अंतरित कर दी जाए जिसे तारीख 14 फरवरी, 2018 को सिविल न्यायाधीश द्वारा मंजूर कर लिया गया था, यह उल्लिखित करते हुए कि उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण में फाइल अंतरित करने का निर्देश दिया था । इस आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा नए सिरे से पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया था जिसमें उच्च न्यायालय ने तारीख 13 मार्च, 2018 के अपने आक्षेपित आदेश द्वारा हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और दिल्ली में नए सिरे से विचारण करने के लिए अपीलार्थी की दलील को नामंजूर कर दिया था । न्यायालय, अंतिम आदेश पारित करते समय, पक्षकारों के आचरणों का उल्लेख करने के साथ ही मामले के तथ्यों को निर्दिष्ट करता है और अपने विवेक में सभी अन्य सुसंगत पहलुओं को ध्यान में रखता है । यह अधिनिर्णीत विषय नहीं है कि पक्षकारों के बीच विवाद में, जहां दो या अधिक न्यायालयों की अधिकारिता हो सकती है वहां दो न्यायालयों में से किसी एक पर सहमति द्वारा अनन्य अधिकारिता प्रदत्त करने के लिए करार द्वारा निश्चित करने के लिए उनके लिए हमेशा ही खुला होता है । उपर्युक्त उद्धृत करार का खंड 16ख, न्यायालय लिए इस बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि पक्षकारों ने स्पष्टत: यह उपदर्शित कर दिया था कि यह मात्र दिल्ली का ही न्यायालय था जिसे विशेषाधिकार से संबंधित किसी विवाद के बारे में अनन्य अधिकारिता होगी और उसके ऊपर किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी । कानूनी स्कीम, अब स्पष्ट है । यदि एक अन्य न्यायालय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय से कार्यवाहियां अंतरित करने पर विचार करता है तो धारा 24(2) और 25(3) द्वारा ऐसे न्यायालय में यह विवेकाधिकार निहित है कि या तो वह कार्यवाहियों का पुन: विचारण करे या उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करे जिस पर वह उसे अंतरित या प्रत्याहृत किया गया है । आदेश VII के नियम 10क के अधीन स्कीम में विभेद चिन्हित है जहां ऐसा कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है और नए सिरे से कार्यवाहियां आरंभ

करनी है । मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, क्योंकि अपीलार्थी ने प्रथम अवसर पर ही करार के खंड 16ख के अधीन आक्षेप उद्भूत नहीं किया है, इसलिए, नामंजूर करने का प्रथम आदेश अंतिम हो गया था, इसलिए, खंड 16ख के अधीन आक्षेप, बाद में सोच-विचार करने के पश्चात् ही उद्भूत किया गया था । आदेश VII के नियम 10 के अधीन प्रत्यर्थी द्वारा द्वितीय आवेदन प्रस्तुत किया गया था, पक्षकारों के अभिवचन पूरे हो गए थे, साक्ष्य दे दिए गए थे और यह कि मामले में अंतिम तर्क देने के लिए तारीख 3 जुलाई, 2017 नियत कर दी गई थी, न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन अपनी विवेकीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए और मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में संविधान, 1950 के अनुच्छेद 142 के अधीन पक्षकारों के बीच पूर्ण और सारवान् न्याय करने के अनुक्रम में, न्यायालय उच्च न्यायालय के तारीख 13 मार्च, 2018 के आक्षेपित आदेश को अपास्त करने से इनकार करता है । (पैरा 9, 10, 11, 12, 13, 21, और 27)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) 9 एस. सी. सी. 435 : **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **तेजपरास एसोसिएट्स एंड एक्पोर्ट्स प्रा. लि.** ;	8,18,22
[2016]	(2016) 14 एस. सी. सी. 275 : **आर. के. रोजा** बनाम **यू. एस. रायडू** ;	8,22
[2015]	(2015) 1 एस. सी. सी. 32 : **पश्चिमी बंगाल राज्य** बनाम **एसोसिएटेड कांट्रेक्टर्स** ;	14
[2014]	(2014) 1 एस. सी. सी. 648 : **ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन** बनाम **मॉडर्न कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी** ;	2,4,16, 17,18,27
[2013]	(2013) 9 एस. सी. सी. 32 : **स्वास्तिक गैसेज (प्रा.) लि.** बनाम **इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.** ;	13

[2010] (2010) 10 एस. सी. सी. 753 :
करम कपाही बनाम **लालचंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट** ; 26

[2009] (2009) 14 एस. सी. सी. 16 :
शिन-इत्सू केमिकल कंपनी लि. (2) बनाम
विंध्या टेलेलिंक्स लि. ; 26

[2007] (2007) 2 एस. सी. सी. 355 :
हसन अब्बास सैय्यद बनाम **उस्मान अब्बास सैय्यद** ; 6

[2006] (2006) 1 एस. सी. सी. 364 :
हर्षद चीमनलाल मोदी (II) बनाम
डी.एल.एफ. यूनिवर्सल लि. ; 6,16

[2005] (2005) 6 एस. सी. सी. 454 :
ओ. एन. जी. सी. लि. बनाम **सेधाभाई वस्तराम पटेल** ; 25

[1999] (1999) 8 एस. सी. सी. 396 :
बलराज तनेजा बनाम **सुनील मदन** ; 24

[1997] (1997) 9 एस. सी. सी. 688 :
हनामंथप्पा बनाम **चंद्रशेखरप्पा** ; 16

[1997] (1997) 1 एस. सी. सी. 502 :
जोगिन्दर तुली बनाम **एस. एल. भाटिया** ; 2,4,8,15,16,17

[1973] (1973) 1 एस. सी. सी. 115 :
अमर चंद इनानी बनाम **भारत संघ** ; 6,15,16,18

[1965] ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 195 :
पेनू बालकृष्ण अय्यर बनाम
आरिया एम. रामास्वामी अय्यर ; 23

[1929] ए. आई. आर. 1929 पी. सी. 103 :
रामदत्त रामकिस्सेन दास बनाम
ई. डी. सैसुन एंड कंपनी । 6,16

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2020 की सिविल अपील सं. 2904.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील ।

पक्षकारों की ओर से सर्वश्री मनोज स्वरूप, पी. एस. पटवालिया, ज्येष्ठ अधिवक्ता, अंकित स्वरूप, नवीन कुमार, जावेद तारीक नीलमणि पंत, (सुश्री) विदिशा स्वरूप, कुलविन्दर सिंह कोहली, (सुश्री) मीनाक्षी मिधा, कपिल मिधा, (सुश्री) अभिवंदना चौधरी, (सुश्री) प्रीतिका जुनेजा, अमन दीप सिंह भूल्लर और चन्दर शेखर आशरी, अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने दिया ।

न्या. नरीमन – इजाजत दी गई ।

2. हमारे समक्ष वर्तमान अपील **जोगिन्दर तुली** बनाम **एस. एल. भाटिया**[1] और **ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन** बनाम **मॉडर्न कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी**[2] वाले मामलों में, दो खंड न्यायपीठों के विनिश्चयों के बीच विरोधाभास होने के संबंध में दोनों न्यायाधीश खंड द्वारा दिए गए निर्देश पर प्रस्तुत की गई है । हमसे इस विधि के प्रश्न का उत्तर देने की अपेक्षा की गई है कि यदि कोई वादपत्र, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संहिता' कहा गया है) के आदेश VII के नियम 10 और नियम 10क के अधीन उस न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस किया जाता है जिसमें इसे संस्थित किया जाना चाहिए तो क्या इसमें नए सिरे से कार्यवाही की जाएगी या यह उस प्रक्रम से चालू होगा जहां से यह वादपत्र वापस करने के समय पर न्यायालय के समक्ष लंबित था । निर्देश आदेश में इस बात पर भी विचार करने के लिए खुला है कि यदि अपीलार्थी का आचरण ऐसा है जिससे वह कोई अनुतोष पाने का हकदार नहीं बनता है, इस बात के होते हुए कि विधि के विवाद्यक पर विनिश्चय हुआ है ।

3. प्रत्यर्थी ने सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ खंड), गुड़गांव के समक्ष

---

[1] (1997) 1 एस. सी. सी. 502.

[2] (2014) 1 एस. सी. सी. 648.

तारीख 24 मार्च, 2004 के विशेषाधिकार करार से उद्भूत अपीलार्थी के विरुद्ध वसूली के लिए एक वाद फाइल किया । करार में अपवर्जित खंड को ध्यान में रखते हुए, वादपत्र वापस कर दिया गया था, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि गुड़गांव के न्यायालय के पास क्षेत्रीय अधिकारिता का अभाव है और यह कि इस मामले में दिल्ली स्थित न्यायालय को ही एकमात्र अधिकारिता है । उच्च न्यायालय ने तारीख 13 मार्च, 2018 के आक्षेपित आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि दिल्ली में वाद में उस प्रक्रम से कार्यवाही की जाएगी जिस प्रक्रम पर यह वादपत्र वापस किए जाने के पूर्व गुड़गांव में लंबित था और न कि नए सिरे से कार्यवाही की जाएगी । इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की है । निर्देश के आदेश में निष्कर्ष निकालते हुए, आगे की कार्यवाही पर तारीख 17 जुलाई, 2018 को रोक लगा दी गई थी ।

4. अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री मनोज स्वरूप ने यह निवेदन किया कि बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा विचार करने की आवश्यकता के बारे में, **जोगिन्दर तुली** (उपर्युक्त) और **माडर्न कंस्ट्रक्शन** (उपर्युक्त) वाले मामलों में विनिश्चयों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है । बाद में, यह सही विधि अधिकथित की गई कि दिल्ली में नए सिरे से वाद में कार्यवाही होगी और गुड़गांव में पूर्ववर्ती प्रक्रम से निरंतर कार्यवाही नहीं की जा सकती है । **जोगिन्दर तुली** (उपर्युक्त) वाले मामले का, विधि के विचार पर आधारित होने के नाते कोई पूर्व-निर्णय संबंधी मूल्य नहीं हो सकता है अपितु, यह उस मामले के तथ्यों पर ही जोर देते हुए पारित किया गया है ।

5. श्री स्वरूप ने यह निवेदन किया कि उच्च न्यायालय ने इसका मूल्यांकन नहीं करने में त्रुटि कारित की है कि यह संहिता की धारा 24 के अधीन अधिकारिता हस्तांतरण का प्रयोग नहीं था । वादपत्र को संहिता के आदेश VII के नियम 10 और 10क के अधीन वाद के किसी प्रक्रम पर वापस किया जा सकता है । यह तथ्य कि अभिवचनों और साक्ष्यों का गुड़गांव न्यायालय के समक्ष निष्कर्ष निकाला जा सकता था, असंगत है । वाद, तारीख 6 जनवरी, 2011 को फाइल किया गया था । अपीलार्थी ने तारीख 26 अगस्त, 2011 को तत्परतापूर्वक संहिता के

आदेश VII के नियम 10 के अधीन आक्षेप प्रस्तुत किया था । आदेश XVIII के नियम 15 का भी अवलंब, वादपत्र वापस करने के लिए नियम 10 के अधीन प्रदत्त अधिकारिता की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया जा सकता है । नियम 10क मात्र उसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में उल्लेख करता है । इसका वाद को जारी रखने के लिए उपबंध करने वाले के रूप में निर्वचन नहीं किया जा सकता है । उच्च न्यायालय ने तारीख 5 सितम्बर, 2017 के प्रथम पुनरीक्षण आदेश में उस अग्रिम प्रक्रम के संबंध में आक्षेप नामंजूर कर दिया था जिस प्रक्रम पर वाद गुड़गांव में था । मात्र इस शब्द 'फाइल वापस' का प्रयोग असंगत है और इसका निर्वचन आदेश VII के नियम 10 के अधीन अधिकारिता के क्षेत्र को बढ़ाने के रूप में नहीं किया जा सकता है । आदेश अंतिम जो गया था क्योंकि इसके विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई थी । महत्वपूर्ण तौर पर, आदेश VII के नियम 10 के अधीन सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के लिए नए समन जारी किए गए थे । श्री स्वरूप ने इस संदर्भ में वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वाद संस्थित करने के संबंध में आदेश IV के नियम 1 को निर्दिष्ट किया और आदेश V के नियम 1 के अधीन समन जारी करने के संबंध में यह दलील दी कि नियम 10क के अधीन जब नए न्यायालय द्वारा समन जारी किए जाते हैं जहां वाद प्रस्तुत किया गया है तो कार्यवाहियां, वाद संस्थित करने के प्रारंभ से ही की जाएंगी ।

6. अपने इस निवेदन के समर्थन में कि वादपत्र वापस करने पर वाद में आवश्यक रूप से नए सिरे से कार्यवाहियां की जाती हैं, उन्होंने **रामदत्त रामकिस्सेन दास** बनाम **ई. डी. सैसुन एंड कंपनी**[1], **अमर चंद इनानी** बनाम **भारत संघ**[2], **हर्षद चीमनलाल मोदी (II)** बनाम **डी. एल. एफ. यूनिवर्सल लि**[3]. और **हसन अब्बास सैय्यद** बनाम **उस्मान अब्बास सैय्यद**[4] वाले मामलों का अवलंब लेते हुए, यह निवेदन किया कि गुड़गांव

---

[1] ए. आई. आर. 1929 पी. सी. 103.

[2] (1973) 1 एस. सी. सी. 115.

[3] (2006) 1 एस. सी. सी. 364.

[4] (2007) 2 एस. सी. सी. 355.

में वाद उस न्यायालय में संस्थित किया गया था जो अधिकारिता विहीन न्यायालय था, इसलिए, वाद को दिल्ली में नए सिरे से आरंभ किया जाना आवश्यक था ।

7. प्रत्यर्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री पी. एस. पटवालिया ने यह निवेदन किया कि विशेष इजाजत याचिका में तात्विक तथ्यों को छिपाया गया है । यदि शपथ-पत्र में प्रस्तुत सामग्रियों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया होता तो शायद विशेष इजाजत याचिका ग्रहण नहीं की जा सकती थी । अपीलार्थी ने अपने प्रथम आक्षेप में करार के अपवर्जित खंड 16ख के अधीन आधार को उद्भूत नहीं किया है अपितु, अपने आधारों को इस सीमा तक सीमित किया है कि गुड़गांव में कोई कारबार नहीं किया जा रहा था और यह कि प्रतिवादी सं. 2 वहां निवास भी कर रहा है । तारीख 12 मार्च, 2015 को नामंजूर करने का प्रथम आदेश, अपील के साथ संबद्ध नहीं किया गया है । इसके पश्चात्, अधिकारिता को प्रथम विवाद्यक के रूप में विरचित किया गया था जिसे तारीख 6 सितम्बर, 2016 को प्रत्यर्थी के पक्ष में पुन: विनिश्चित किया गया था । प्रत्यर्थी द्वारा फाइल पुनरीक्षण आवेदन को उच्च न्यायालय ने तारीख 5 सितम्बर, 2017 के आदेश द्वारा मंजूर कर लिया गया था, फिर भी, इसमें प्रत्यर्थी को वादपत्र वापस करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया । इसे प्रत्यर्थी पर छोड़ दिया गया था कि वह वाद, जिसे सिविल न्यायाधीश द्वारा मंजूर कर लिया गया था और उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा पुष्टि कर दी थी, के अग्रिम प्रक्रम पर विचार करते हुए, गुड़गांव से दिल्ली में सम्पूर्ण न्यायिक फाइल को अंतरण करने की प्रार्थना करते हुए, संहिता के आदेश VII के नियम 10 के अधीन नए सिरे से आवेदन फाइल करे ।

8. श्री पटवालिया ने अगला निवेदन यह किया कि उच्च न्यायालय ने तारीख 5 सितम्बर, 2017 को सचेतनपूर्वक फाइल को वापस करने का निदेश दिया । उच्च न्यायालय ने वादपत्र को वापस करने का निर्देश देते हुए, कुछ भी निवारित नहीं किया । विचारण न्यायालय ने न्यायोचित तौर पर यह कारण दिया कि फाइल वापस करने के लिए उच्च न्यायालय का आदेश, दिल्ली में उसकी निरंतरता के लिए वाद के अग्रिम प्रक्रम पर आधारित था क्योंकि अन्यथा यह न्याय का उपहास

होता यदि वाद को दिल्ली में नए सिरे से कार्यवाही करनी होती । उच्च न्यायालय ने सही तौर पर आक्षेपित आदेश द्वारा उसकी पुष्टि की है । वर्तमान मामला यह नहीं था कि क्या गुड़गांव के न्यायालय के पास पूर्ण अधिकारिता का अभाव था । प्रत्यर्थी, विशेषाधिकार करार के खंड 16ख में अपवर्जित खंड को ध्यान में रखते हुए ही गुड़गांव में वाद नहीं कर सकता था यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर आधारित प्रश्न होगा यदि विचारण पूर्ववर्ती प्रक्रम में नए सिरे से या निरंतर करना चाहिए और मामले को सीधे-सीधे पॉकेट में नहीं रखा जा सकता था । अधिकारिताओं की अतिव्याप्ति वाला वर्तमान मामला होने के नाते इससे न्याय का उपहास होता और न्याय की अत्यधिक हानि होगी और प्रत्यर्थी के प्रतिकूल होगा यदि दिल्ली में, वाद में नए सिरे से कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाता है । श्री पटवालिया ने **आर. के. रोजा** बनाम **यू. एस. रायडू**[1] और **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **तेजपरास एसोसिएट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.**[2] वाले मामलों का अवलंब यह निवेदन करने के लिए लिया कि बाद में भी **जोगिन्दर तुली** (उपर्युक्त) वाले मामले का अनुसरण किया गया है ।

9. हमने, पक्षकारों की ओर से दिए गए निवेदनों पर विचार किया और अभिलेख पर की सामग्रियों पर भी विचार किया । विशेषाधिकार करार, प्रत्यर्थी के वर्णनों और मानकों के अनुसरण में मेरठ में एविएशन, हास्पिटेलिटी एंड ट्रेवेल मैनेजमेंट में पाठ्यक्रम चलाने के लिए तारीख 24 मार्च, 2004 को नई दिल्ली में पक्षकारों के बीच निष्पादित हुआ था । करार के खंड 16ख में निम्नलिखित अनुध्यात था :–

> "**ख अधिकारिता** – करार से उद्भूत होने वाले सभी विवाद्यकों और विभेदों का निपटारा करने की अनन्य अधिकारिता केवल दिल्ली के न्यायालयों की होगी चाहे इसके निबंधनों के दौरान या समाप्ति के पश्चात्/इसके पूर्ववर्ती समाप्ति के दौरान उद्भूत हुई हों ।"

10. प्रत्यर्थी ने रु. 23,11,190/- की वसूली के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध गुड़गांव में सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ खंड) के समक्ष तारीख 6

---

[1] (2016) 14 एस. सी. सी. 275.

[2] (2019) 9 एस. सी. सी. 435.

जनवरी, 2011 को एक वाद संस्थित किया । अपीलार्थी ने तारीख 26 अगस्त, 2011 को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश के VII के नियम 10 के अधीन एक आवेदन फाइल किया, यह दलील देते हुए कि गुड़गांव न्यायालय के पास क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है क्योंकि वह उसकी अधिकारिता के भीतर कोई कारबार नहीं करता है और न ही वह वहां निवास करता है, इसलिए, प्रत्यर्थी को वादपत्र वापस किया जाना अपेक्षित है । सिविल न्यायाधीश, गुड़गांव में तारीख 12 मार्च, 2015 को आक्षेप नामंजूर करते हुए, यह राय व्यक्त की कि इसे सरसरी तौर पर विनिश्चित नहीं किया जा सकता है और इसे प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में विरचित किया जाना अपेक्षित है । उसके बाद, अपीलार्थी ने अपना लिखित कथन फाइल किया और प्रत्यर्थी ने इसका प्रत्युत्तर फाइल किया । वाद में, अधिकारिता के संबंध में तारीख 1 अक्तूबर, 2015 के प्रारंभिक विवाद्यक विरचित करने वाले पूर्ववर्ती आदेश की जानबूझकर अवहेलना करते हुए, विवाद्यक तारीख 1 दिसम्बर, 2015 को विरचित किए गए थे । अपीलार्थी ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि क्यों उसने करार के खंड 16ख के अधीन आक्षेप को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII के नियम 10 के अधीन तारीख 26 अगस्त, 2011 के अपने आवेदन में उद्धृत नहीं किया था ।

11. सिविल न्यायाधीश, गुड़गांव ने तारीख 6 सितम्बर, 2016 के अपने आदेश द्वारा करार के खंड 16ख के अधीन दिल्ली में अनन्य अधिकारिता के संबंध में तर्कों को नामंजूर कर दिया था । उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण में तारीख 5 सितम्बर, 2017 के अपने आदेश में, सिविल न्यायाधीश के तारीख 6 सितम्बर, 2016 के आदेश को अपास्त करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि विशेषाधिकार करार के खंड 16ख को ध्यान में रखते हुए, गुड़गांव न्यायालय के पास फाइल वापस करने के निर्देश देने की क्षेत्रीय अधिकारिता का अभाव था । गुड़गांव में वाद के अग्रिम प्रक्रम के संबंध में, प्रत्यर्थी के निवेदन को नामंजूर कर दिया गया था । इसके पूर्व, वाद में सारवान् कार्यवाहियां की गई थीं क्योंकि इसी बीच में पक्षकारों के साक्ष्य बंद कर दिए गए थे और मामले में तारीख 1 जून, 2017 को अंतिम तर्क देने के लिए नियत कर दिया गया था । हमारी यह सुविचारित राय है कि तारीख 5 सितम्बर,

2017 के आदेश में 'फाइल वापस करने' शब्दों का प्रयोग मात्र से ही इस अभिप्राय में आदेश VII के नियम 10 के अधीन अधिकारिता के क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है कि उच्च न्यायालय ने वाद निरंतर जारी रखने के आशय से ऐसा निर्देश दिया है । प्रथमतः, उस आक्षेप को अभिव्यक्त तौर पर नामंजूर कर दिया गया था । द्वितीयतः, आदेश में स्वयं यह अभिकथित है कि संहिता, 1908 के आदेश VII के नियम 10 और 10क के अधीन फाइल वापस की जाती है । यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय का आशय वादपत्र वापस करने का था ।

12. इसके पश्चात्, प्रत्यर्थी ने उस विशिष्ट मामले में सिविल न्यायाधीश गुड़गांव के समक्ष तारीख 11 अक्तूबर, 2017 को एक आवेदन फाइल किया, अग्रिम प्रक्रम पर जिस प्रक्रम पर गुड़गांव में कार्यवाहियां थीं, इसलिए कि, यह न्याय के हित में होगा कि सम्पूर्ण न्यायिक फाइल को दिल्ली में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के पास अंतरित कर दी जाए जिसे तारीख 14 फरवरी, 2018 को सिविल न्यायाधीश द्वारा मंजूर कर लिया गया था, यह उल्लिखित करते हुए कि उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण में फाइल अंतरित करने का निर्देश दिया था । इस आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा नए सिरे से पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया था जिसमें उच्च न्यायालय ने तारीख 13 मार्च, 2018 के अपने आक्षेपित आदेश द्वारा हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और दिल्ली में नए सिरे से विचारण करने के लिए अपीलार्थी की दलील को नामंजूर कर दिया था । हम, अंतिम आदेश पारित करते समय, पक्षकारों के आचरणों का उल्लेख करने के साथ ही मामले के तथ्यों को निर्दिष्ट करते हैं और अपने विवेक में सभी अन्य सुसंगत पहलुओं को ध्यान में रखते हैं ।

13. यह अधिनिर्णीत विषय नहीं है कि पक्षकारों के बीच विवाद में, जहां दो या अधिक न्यायालयों की अधिकारिता हो सकती है वहां दो न्यायालयों में से किसी एक पर सहमति द्वारा अनन्य अधिकारिता प्रदत्त करने के लिए करार द्वारा निश्चित करने के लिए उनके लिए हमेशा ही खुला होता है । उपर्युक्त उद्धृत करार का खंड 16ख, हमारे लिए इस बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि पक्षकारों ने स्पष्टतः यह उपदर्शित कर दिया था कि यह मात्र दिल्ली का ही न्यायालय था जिसे

विशेषाधिकार से संबंधित किसी विवाद के बारे में अनन्य अधिकारिता होगी और उसके ऊपर किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी । मामले में इस मत को ध्यान में रखते हुए, गुड़गांव में वादपत्र का प्रस्तुतीकरण, निश्चित तौर पर मामले में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के समक्ष नहीं था । इस न्यायालय ने **स्वास्तिक गैसेज (प्रा.) लि.** बनाम **इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.**[1] वाले मामले में, सहमति द्वारा अधिकारिता निर्बंधित करने वाले इसी प्रकार के खंड पर विचार करते हुए, निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :-

> "32. ..... यह एक तथ्य है कि करार में अधिकारिता खंड के लिए उपबंध करते समय, शब्दों जैसे 'एकमात्र', 'मात्र', 'अनन्य' या 'अनन्य अधिकारिता' का प्रयोग नहीं किया जाता है किन्तु हमारे मत में, यह निश्चायक नहीं है और कोई तात्विक विभेद नहीं करता है । करार में खंड 18 रखते हुए पक्षकारों का आशय स्पष्ट और असंदिग्ध है कि कोलकाता के न्यायालयों को ही एकमात्र अधिकारिता होगी । यह ऐसा है क्योंकि अधिकारिता खंड जैसे करार में खंड 18 को निर्मित करने के लिए युक्ति 'एक की अभिव्यक्ति और दूसरे का अपवर्जन' की भूमिका अस्तित्व में आती है क्योंकि इसके प्रतिकूल उपदर्शित करने के लिए कुछ नहीं है । इस विधिक युक्ति का अभिप्राय यह है कि एक की अभिव्यक्ति और दूसरे का अपवर्जन । करार में ऐसा उपबंध करने से वह कोलकाता के न्यायालयों की अधिकारिता के अध्यधीन हो जाती है । जहां संविदा में विशिष्ट स्थान पर न्यायालयों की अधिकारिता विनिर्दिष्ट की जाती है वहां ऐसी न्यायालयों की उस मामले में विचार करने की अधिकारिता प्राप्त हो जाती है, हम यह सोचते हैं कि पक्षकारों का सभी अन्य न्यायालयों का अपवर्जित करने का आशय होने का निष्कर्ष निकाला जा सकता है । इस प्रकार के खंड से संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 23 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता है । ऐसा खंड न तो विधि द्वारा निषिद्ध है न ही यह लोक नीति के विरुद्ध है । यह किसी भी तरीके से संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 28 का उल्लंघन नहीं करता है ।"

14. इसी मत को **पश्चिमी बंगाल राज्य** बनाम **एसोसिएटेड**

---

[1] (2013) 9 एस. सी. सी. 32.

कांट्रेक्टर्स[1] वाले मामले में, दोहराते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपवर्जित खंड के प्रतिकूल न्यायालय में वादपत्र का प्रस्तुतीकरण, मामले में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के समक्ष समुचित प्रस्तुतीकरण नहीं कहा जा सकता है ।

15. यह हमें निर्देश में आदेश देते हुए उत्तर देने में सहायता करता है । **जोगिन्दर तुली** (उपर्युक्त) वाले मामले में मूल न्यायालय ने वादपत्र में संशोधन के कारण अधिकारिता खो दी थी । विचारण न्यायालय ने इसे जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए वापस कर दिया था । इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :-

> "5. ..... साधारणतया, जब वादपत्र को समुचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस करने का निर्देश दिया जाता है तो शायद इसे प्रारंभ से ही आरंभ करना होता है किन्तु इस मामले में, चूंकि पक्षकारों द्वारा साक्ष्य पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है, तद्नुसार, मामले में विचारण किया गया है । उच्च न्यायालय ने उस प्रक्रम से प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया था जिस प्रक्रम पर वाद अंतरित हुआ था । हम, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अवैधता नहीं पाते हैं ।"

हमारे विवेक में, मताभिव्यक्तियां इस बारे में अति स्पष्ट हैं कि वाद में समुचित न्यायालय के समक्ष नए सिरे से प्रक्रिया आरंभ की जानी चाहिए । संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन विवेकीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, मामले के विशिष्ट तथ्यों में निर्देश दिए जाने चाहिए । हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि इसमें किसी भी पूर्ववर्ती निर्णयों जिसमें माननीय तीन न्यायाधीशों के न्यायपीठ द्वारा **अमर चंद ईनानी** बनाम **भारत संघ** (उपर्युक्त) वाले मामले में, दिया गया निर्णय सम्मिलित है, को विचार में नहीं लिया गया है । न तो किसी विधि पर चर्चा की गई है और इसलिए, इसका कोई प्रक्रियात्मक मूल्य नहीं है जैसा कि किसी विधि में अधिकथित किया जाता है ।

16. **मॉडर्न कंस्ट्रक्शन** (उपर्युक्त) वाले मामले को **रामदत्त**

---

[1] (2015) 1 एस. सी. सी. 32.

रामकिशन दास बनाम **ई. डी. सैसुन एंड कंपनी** (उपर्युक्त), **अमर चंद ईनानी** बनाम **भारत संघ** (उपर्युक्त), **हनामंथप्पा** बनाम **चंद्रशेखरप्पा**[1], और **हर्षद चीमनलाल मोदी (II)** (उपर्युक्त) वाले मामले में, निर्देश द्वारा विधि में संगत स्थिति को निर्दिष्ट किया गया है और **जोगिन्दर तुली** (उपर्युक्त) वाले मामले का भी उल्लेख करने के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला गया है :-

> "17. इस प्रकार, उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, विवाद्यक पर विधि को इस प्रभाव में संक्षिप्त किया जा सकता है कि यदि न्यायालय जहां वाद संस्थित किया जाता है, का यह मत है कि उसे अधिकारिता नहीं है तो वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII के नियम 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, वादपत्र को वापस कर देता है और वादी इसे सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । इस तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य में, वादी उस अवधि को अपवर्जित कराने का हकदार होता है जिसके दौरान उसे परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, अधिकारिता नहीं रखने वाले न्यायालय के समक्ष मामले में अभियोजित किया जाता है और वह उस न्यायालय में संदत्त न्यायालय फीस के समायोजन की भी ईप्सा कर सकता है । तथापि, सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के पश्चात्, वादपत्र पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए और नए सिरे से विचारण भी किया जाना चाहिए यद्यपि, इसमें उस मामले का विचारण करने के लिए क्षमता नहीं रखने वाले न्यायालय के समक्ष निष्कर्ष निकाला जा चुका है ।"

जोगिन्दर तुली (उपर्युक्त) वाले मामले का **हर्षद चीमनलाल मोदी (II)** (उपर्युक्त) वाले मामले में भी उल्लेख किया गया था किन्तु यह स्वयं के तथ्यों पर विभेदनीय था ।

17. हम, विधि का विचार करने के पश्चात्, विधि में कोई

---

[1] (1997) 9 एस. सी. सी. 688.

विरोधाभास नहीं पाते हैं, जैसा कि **मॉडर्न कंस्ट्रक्शन** (उपर्युक्त) वाले मामले में अधिकथित किया गया है और **जोगिन्दर तुली** (उपर्युक्त) वाले मामले से किसी विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए, पूर्व-निर्णयों में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । **मॉडर्न कंस्ट्रक्शन** (उपर्युक्त) वाले मामले में सही विधि अधिकथित की गई है । तद्नुसार, हम निर्देश का उत्तर देते हैं ।

18. हम, श्री पटवालिया द्वारा अवलंब लिए गए **ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि.** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस बात से सहमत होने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं कि आदेश VII के नियम 10क को अंत:स्थापित करने के कारण तारीख 1 फरवरी, 1977 के संशोधन के अनुसरण में यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी परिस्थितियों के अधीन समुचित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वादपत्र को वापस करने से इस पर नए सिरे से फाइल करने के रूप में विचार किया जाएगा जो इसे **अमर चंद ईनानी** (उपर्युक्त) वाले मामले से विभेद करता है । न्यायालय का ध्यान **मॉडर्न कंस्ट्रक्शन** (उपर्युक्त) और संशोधन के पश्चात् कई पूर्व-निर्णयों की ओर आकर्षित होना नहीं प्रतीत होता है ।

19. आदेश VII का नियम 10क जैसा खंडों में उल्लिखित है, इसे सिविल प्रक्रिया संहिता, (संशोधन) अधिनियम, 1976 (तारीख 1 फरवरी, 1977 के तत्काल प्रभाव से) द्वारा निम्नलिखित कारणों से अंत:स्थापित किया जाना उपदर्शित है :–

> "नया नियम 10क अंत:स्थापित होने के नाते प्रतिवादियों पर समन तामील करना आवश्यक हो जाता है जहां वादपत्र को वाद में प्रतिवादी के उपस्थित होने के पश्चात् वापस किया जाता है ।"

उपधारा (3) के अधीन भी सभी न्यायालय वादपत्र को वापस कर सकते हैं, इस बात के होते हुए कि उन्हें वाद का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है :–

> **"10क. जहां वादपत्र उसके लौटाए जाने के पश्चात् फाइल किया जाना है वहां न्यायालय में उपसंजाति के लिए तारीख नियत करने की न्यायालय की शक्ति –**

XXX XXX XXX

(3) जहां वादी द्वारा उपनियम (2) के अधीन आवेदन किया जाता है वहां न्यायालय वादपत्र लौटाए जाने के पूर्व और इस बात के होते हुए भी कि उसके द्वारा वादपत्र के लौटाए जाने का आदेश इस आधार पर किया गया था कि उसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता नहीं थी, –

(क) उस न्यायालय में जिसमें वादपत्र के उपस्थित किए जाने की प्रस्थापना है, पक्षकारों की उपसंजाति के लिए तारीख नियत करेगा, और

(ख) उपसंजाति की ऐसी तारीख की सूचना वादी और प्रतिवादी को देगा ।

20. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII के नियम 10क की भाषा, संहिता की धारा 24(2) और धारा 25(3) की भाषा से विभेद में चिन्हित है, जो इस प्रकार है :–

"24. अन्तरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति –

XXX XXX XXX

(2) जहां किसी वाद या कार्यवाही का अन्तरण या प्रत्याहरण उपधारा (1) के अधीन किया गया है वहां वह न्यायालय, जिसे ऐसे वाद या कार्यवाही का तत्पश्चात् विचारण करना है या उसे निपटाना है, अन्तरण आदेश में दिए गए विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए या तो उसका पुन: विचारण कर सकेगा या उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करेगा जहां से उसका अन्तरण या प्रत्याहरण किया गया था ।

25. वादों आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति –

XXX XXX XXX

(3) वह न्यायालय जिसको ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्यवाही अन्तरित की गई है, अन्तरण आदेश में दिए गए विशेष

निदेशों के अधीन रहते हुए, या तो उसका पुन: विचारण करेगा या उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करेगा जिस पर वह उसे अन्तरित किया गया था ।"

21. कानूनी स्कीम, अब स्पष्ट है । यदि एक अन्य न्यायालय अधिकारिता रखने वाले न्यायालय से कार्यवाहियां अंतरित करने पर विचार करता है तो धारा 24(2) और 25(3) द्वारा ऐसे न्यायालय में यह विवेकाधिकार निहित है कि या तो वह कार्यवाहियों का पुन: विचारण करे या उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करे जिस पर वह उसे अंतरित या प्रत्याहृत किया गया है । आदेश VII के नियम 10क के अधीन स्कीम में विभेद चिन्हित है जहां ऐसा कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है और नए सिरे से कार्यवाहियां आरंभ करनी हैं ।

22. उपर्युक्त सभी कारणों से हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी** (उपर्युक्त) में सही विधि अधिकथित नहीं की गई है और उसे उलटा जाना चाहिए । **आर. के. रोजा** (उपर्युक्त) वाला मामला वर्तमान संविवाद से प्रत्यक्ष तौर पर सुसंगत नहीं है ।

23. अब हम वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पारित किए जाने वाले आदेश की प्रकृति से संबंधित प्रश्न पर विचार करते हैं । **पेनू बालकृष्ण अय्यर** बनाम **आरिया एम. रामास्वामी अय्यर**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

> "7. ..... यह प्रश्न कि क्या अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं और यदि हां तो यह उस मामले के निबंधनों और शर्तों, पर निर्भर करता है जिस पर इस न्यायालय को उस प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विनिश्चय करना होता है ।"

24. **बलराज तनेजा** बनाम **सुनील मदन**[2] वाले मामले में, निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था :–

---

[1] ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 195.

[2] (1999) 8 एस. सी. सी. 396.

"47. ..... यह सत्य है कि संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन अधिकारिता एक विवेकीय अधिकारिता है और इस बात के होते हुए भी कि निर्णय, पूर्णत: सही या विधि के अनुसरण में नहीं हो सकता है, फिर भी यह न्यायालय अपनी विवेकीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने के लिए आबद्ध नहीं है .... ।"

25. **ओ. एन. जी. सी. लि.** बनाम **सेधाभाई वस्तराम पटेल**[1] वाले मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था :-

"23. अब, यह सुस्थिर है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 और 32 के साथ ही उसके अनुच्छेद 136 के अधीन अपनी साम्या अधिकारिता का प्रयोग करते समय समुचित मामलों में उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं । ऐसी अधिकरिता का प्रयोग करते समय भारत में उच्चतर न्यायालय गलत आदेश को भी अभिखंडित नहीं कर सकते हैं, मात्र इस कारण से कि ऐसा करना विधिपूर्ण होगा । विवेकीय अनुतोष को दिए गए मामले में अपीलार्थी तक विस्तारित किए जाने से इनकार किया जा सकता है, यद्यपि, न्यायालय उसे विधि में न्यायोचित पाते हैं ।"

26. संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन अधिकारिता की प्रकृति पर **शिन-इत्सू केमिकल कंपनी लि. (2)** बनाम **विंध्या टेलेलिंक्स लि.**[2] वाले मामले में, पुन: विचार किया गया था । **करम कपाही** बनाम **लालचंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट**[3] वाले मामले में, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :-

"65. संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय की अधिकारिता आधारभूत तौर पर सचेतन है । अधिकारिता, सर्वांगीण और अवशिष्ट प्रकृति की है । यह निर्विवाद है और सुनिश्चित बाध्यताओं के भीतर सीमित नहीं है । यहां

---

[1] (2005) 6 एस. सी. सी. 454.

[2] (2009) 14 एस. सी. सी. 16.

[3] (2010) 10 एस. सी. सी. 753.

विवेकीय शक्ति का प्रयोग किया जाना मात्र एक ही परिसीमा के अध्यधीन है और वह यह है कि इसमें न्यायाधीशों के न्याय करने की बुद्धिमत्ता और चेतना सम्मिलित होती है । (देखें : कुन्हायाम्मेद **बनाम** केरल राज्य [(2000) 6 एस. सी. सी. 359] । इस अधिकारिता का प्रयोग उपयुक्त मामलों में और कम से कम किया जाता है जैसा कि प्रीतम सिंह **बनाम** राज्य (ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 169) वाले मामले में इस न्यायालय के सांविधानिक न्यायपीठ द्वारा राय व्यक्त की गई थी ।"

27. मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, क्योंकि अपीलार्थी ने प्रथम अवसर पर ही करार के खंड 16ख के अधीन आक्षेप उद्भूत नहीं किया है, इसलिए, नामंजूर करने का प्रथम आदेश अंतिम हो गया था, इसलिए, खंड 16ख के अधीन आक्षेप, बाद में सोच-विचार करने के पश्चात् ही उद्भूत किया गया था । आदेश VII के नियम 10 के अधीन प्रत्यर्थी द्वारा द्वितीय आवेदन प्रस्तुत किया गया था, पक्षकारों के अभिवचन पूरे हो गए थे, साक्ष्य दे दिए गए थे और यह कि मामले में अंतिम तर्क देने के लिए तारीख 3 जुलाई, 2017 नियत कर दी गई थी, हमारा यह सुविचारित मत है कि यह निष्कर्ष निकालने के बावजूद कि आक्षेपित आदेश, **मॉडर्न कंस्ट्रक्शन** (उपर्युक्त) वाले मामले में, अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए, कायम रखे जाने योग्य नहीं है, फिर भी, संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन अपनी विवेकीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए और मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में संविधान, 1950 के अनुच्छेद 142 के अधीन पक्षकारों के बीच पूर्ण और सारवान् न्याय करने के अनुक्रम में, हम उच्च न्यायालय के तारीख 13 मार्च, 2018 के आक्षेपित आदेश को अपास्त करने से इनकार करते हैं ।

28. अपील निपटाई जाती है ।

अपील निपटाई गई ।

क.